

## तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2010-2015): सारांश \*

### परिचय

#### तेरहवें वित्त आयोग की स्थापना

वित्त आयोग की स्थापना माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। इस तरह के पहले आयोग की स्थापना 19 नवंबर 1951 में हुई थी। अब तक बारह वित्त आयोगों ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से हमारे देश में राजकोषीय संघवाद को एक दृढ़ आकार प्रदान किया है। मौजूदा तेरहवें वित्त आयोग की स्थापना माननीय राष्ट्रपति द्वारा 13 नवंबर 2007 को डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई। डॉ. इन्दिरा राजारमन प्रोफेसर ईमेरिटस, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), डॉ. अबूसालेह शरीफ, मुख्य अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और प्रो. अतुल शर्मा, भूतपूर्व वाइस चांसलर, राजीव गांधी विश्वविद्यालय (तत्कालीन अरुणाचल विश्वविद्यालय) को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। श्री वी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, श्री सुमित बोस को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था। बाद में, राष्ट्रपति ने डॉ. संजीव मिश्रा, भूतपूर्व सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय को डॉ. अबुसालेह शरीफ के स्थान पर जो अपना कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ थे, आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया।

\* यह लेख तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अंश प्रस्तुत करता है जो संसद के पटल पर 25 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत की गई थी। अध्याय 1 (सिफारिशों के सारांश), अध्याय 2 (विचारार्थ विषय) और अध्याय 13 (भावी परिदृश्य : संघीय वित्त के एक नए अवतरण की दिशा में) और साथ ही साथ रिपोर्ट की चुनिंदा सारणियों को इस लेख में पुनः प्रस्तुत किया गया है। सरकार की, की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को भी पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है।

प्रारंभ में आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2009 को प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी जिसमें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच की पांच वर्ष की अवधि शामिल थी। पन्द्रहवीं लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के अप्रैल-मई 2009 में चुनाव होने की

वजह से कुछ राज्यों में आयोग द्वारा अपने दौरों को स्थगित करना आवश्यक हो गया। चुनाव के संचालन से वर्ष 2009-10 के केन्द्र और कुछ राज्यों के नियमित बजट के प्रस्तुत करने में भी विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, आयोग को अगस्त 2009 तक केन्द्र तथा कुछ राज्यों से उनकी राजकोषीय स्थिति तथा अनुमानों के संबंध में 2010-15 के लिए सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। उपर्युक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आयोग को राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी 2010 तक इस शर्त के साथ विस्तार की अनुमति दी गयी कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2009 तक प्रस्तुत कर देगा।

### विचारार्थ विषय

आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) में निम्नलिखित जोड़ा गया :

4. आयोग निम्नलिखित मामलों में सिफारिशें प्रदान करेगा, अर्थात्:-

- i) *करों की निवल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण जिन्हें संविधान के अध्याय I भाग XII के अंतर्गत वितरित किया जाएगा, अथवा वितरित किया जा सकता है और ऐसी प्राप्तियों के सम्बद्ध हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन;*
- ii) *भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान का शासित करने वाला सिद्धांत और राज्यों को भुगतान किए जाने वाली राशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उनके राजस्वों के सहायता अनुदान के जरिए संबद्ध अनुच्छेद के खण्ड (1) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न, सहायता की आवश्यकता है;*

और

iii) *राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधन में बढ़ोतरी के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु वांछित उपाय।*

5. आयोग केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, विशेष रूप से, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी राज्य ऋण समेकन तथा राहत सुविधा 2005-06 के प्रचालन को ध्यान में रखेगा और साम्यिक विकास के अनुरूप स्थिर तथा टिकाऊ राजकोषीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपाय सुझाएगा।

6. अपनी सिफारिशें प्रदान करते समय आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा -

- i) वर्ष 2008-09 के अंत में कराधान तथा कर भिन्न राजस्व के सम्भावित स्तर के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से पांच वर्षों के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन;
- ii) विशेष रूप से, केन्द्र तथा राज्य आयोजना को अनुमानित सकल बजटीय सहायता, सिविल प्रशासन पर व्यय, रक्षा, आंतरिक तथा सीमा सुरक्षा, ऋण समाशोधन तथा अन्य वचनबद्ध व्यय और देयताओं के कारण केन्द्र सरकार के संसाधनों से सम्बद्ध मांग।
- iii) वर्ष 2008-09 के अंत में कराधान तथा कर-भिन्न राजस्व के सम्भावित स्तर के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से पांच वर्षों हेतु राज्य सरकारों के संसाधन;

- iv) न केवल सभी राज्यों और केन्द्र के राजस्व लेखे से सम्बद्ध प्राप्तियों और व्यय को संतुलित करने का उद्देश्य है बल्कि पूंजी निवेश हेतु अधिशेष का भी सृजन करना;
- v) केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य के कराधान प्रयास और केन्द्र के मामले में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा राज्यों के मामले में कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सुधार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना;
- vi) 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आने वाले प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन का प्रभाव जिसमें देश के विदेशी व्यापार पर इसका प्रभाव भी देखा जाएगा;
- vii) बेहतर उत्पादन तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता;
- viii) टिकाऊ विकास के अनुरूप परिस्थितिकी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता;
- ix) वेतन भिन्न संघटक अनुरक्षण पर व्यय तथा आयोजना स्कीमों पर पूंजी परिसम्पत्तियों का रख-रखव और गैर-मजदूरी सम्बद्ध अनुरक्षण व्यय जिसे 31 मार्च 2010 तक पूरा किया जाएगा एवं वे मानदंड जिनके आधार पर पूंजी परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु विनिर्दिष्ट राशि की सिफारिश की गयी है तथा ऐसे व्यय की मॉनीटरिंग की विधि;
- x) प्रयोक्ता प्रभार तथा कार्यक्षमता को प्रोत्साहन देने संबंधी उपायों को अपनाने सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, विभागीय उपक्रमों तथा सर्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
7. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रदान करते समय, आयोग ऐसे सभी मामलों पर जहां करें तथा शुल्कों और सहायता अनुदान के अंतरण के निर्धारण हेतु जनसंख्या एक कारक है, वहां 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार रूप में लेगा।
8. आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण के संबंध में मौजूदा प्रबंधों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों की समीक्षा कर सकता है और उस पर अपनी उपयुक्त सिफारिशें दे सकता है।
9. आयोग उस आधार को सूचित करेगा जिस पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा तथा वह केन्द्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमानों को उपलब्ध कराएगा।
- राष्ट्रपति के दिनांक 25 अगस्त 2008 के का.आ.सं.2107 के अंतर्गत प्रशासित आदेश द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त मद को आयोग के विचारार्थ विषय में जोड़ा गया।
- 8.क. तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों के कारण केन्द्र सरकार की देयता को राजकोषीय लेखे में लेने की आवश्यकता और घाटा लक्ष्यों पर केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य दायित्वों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयोग राजकोषीय समायोजन के रोडमैप की समीक्षा करेगा और 2010 से 2015 के बीच राजकोषीय समेकन की प्राप्ति को बनाए रखने की दृष्टि से उपयुक्त रूप से एक संशोधित रोडमैप सुझाएगा।

**सिफारिशों का सारांश****केन्द्र और राज्यों के वित्त साधन**

1. वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय लेखाएं, संगत शीर्षों के अनुसार, उपकरणों और अधिभारों के अंतर्गत संग्रहणों को पूर्णतः प्रदर्शित करे ताकि किसी वर्ष राज्यों को जारी की गयी राशियों के मध्य और संबंध वर्ष के लिए वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निवल केंद्रीय करों में संबंध प्रतिशत भागीदारी में कोई असंगतियां न हों।
2. राज्यों को समयबद्ध तरीके से विद्युत क्षेत्र में होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।
3. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाने और फार्मूला आधारित आयोजना अंतरणों की प्रधानता बहाल करने के प्रयास किए जाए।
4. 2008-09 और 2009-10 के बढ़ते राजकोषीय घाटे से बाहर निकलने की एक सुविचारित नीति केन्द्र की मुख्य कार्यसूची हो।

**वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)**

5. केन्द्र और राज्यों दोनों जीएसटी मॉडल को कार्यान्वित करने हेतु एक 'बड़ा समझौता' निष्पादित करे। इस बड़े समझौते में छह कारक मौजूद हों:
  - i) जीएसटी-मॉडल का डिजाइन सुझाया गया है।
  - ii) इसको संचालित करने के तौर-तरीकों को रेखांकित किया गया है।
  - iii) केन्द्र और राज्यों के मध्य प्रस्तावित समझौता परिवर्तनों हेतु आकस्मिकताओं के साथ उपलब्ध है।
  - iv) अनुपालन न करने की स्थिति में हतोत्सहनों को वर्णित किया गया है।

- v) कार्यान्वयन अनुसूची वर्णित है।
- vi) क्षतिपूर्ति दावा करने की प्रक्रिया दी गयी है।
6. किसी भी अपनाए जाने वाले जीएसटी मॉडल में बड़े समझौते में निहित सभी कारक हों। इस बड़े समझौते के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने हेतु आयोग 50,000 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश करता है। इस अनुदान का उपयोग बड़े समझौते के अनुरूप 2010-11 और 2014-15 के मध्य जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति दावों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। इस पूल में अव्ययित शोध राशियों को अंतरण फार्मूले के अनुसार सभी राज्यों में 1 जनवरी 2015 को वितरित किया जाएगा।
7. राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (ईसी) को सांविधिक परिषद् में परिवर्तित किया जाए। सचिव, राजस्व विभाग, भारत सरकार; ईसी सचिव तथा लोक वित्त में अनुभव प्राप्त किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बनी तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर यह क्षतिपूर्ति तिमाही किस्तों में संवितरित की जाए।
8. यदि किसी स्थिति में, जब बड़े समझौते के सभी कारकों के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हो पाती और अंतिम रूप से अपनाया गया जीएसटी तंत्र हमारे द्वारा सुझाए गए जीएसटी मॉडल से भिन्न हो, तो यह आयोग सिफारिश करता है कि 50,000 करोड़ रुपए की यह राशि संवितरित नहीं की जाएगी।
9. राज्यों को माल वाहनों के परिवहन समय को घटाने के उपाय करने चाहिए जो पड़ोसी राज्यों की मिली पुलिस चौकियों द्वारा उनकी सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं और राज्य परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी प्रवेश पत्र जैसे प्रयोक्ता अनुकूल विकल्पों को अपनाए।

### केन्द्र सरकार के वित्त साधन

10. विनिवेश से प्राप्तियों के उपयोग के संबंध में नीति को उदार बनाने की आवश्यकता है जिसमें महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र और पर्यावरण पर पूंजी व्यय को भी शामिल किया जाए।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी जमीन के रिकार्डों को अच्छी तरह रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि इस दुर्लभ संसाधन का उपयोग उत्पादक प्रयोजन से हो रहा है, अथवा इसे अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराया जाए, अथवा अन्यथा विक्रय किया जाए।

### राज्य के वित्त साधन

12. विशेष श्रेणी वाले राज्यों की आयोजना-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयोजना सहायता को दूसरी दिशा में मोड़ने की प्रथा समाप्त की जाए।

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में:

- i) सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लेखों की समुचित जांच हो।
- ii) राज्य पीएसयू लेखों के बकाया निपटान हेतु नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी लोचशीलता का उपयोग करें।
- iii) सभी राज्यों को मार्च 2011 तक सभी रुग्ण पीएसयू को बंद करने का खाका तैयार करने की आवश्यकता है। पीएसयू के विनिवेश तथा निजीकरण पर विचार किया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
- iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय निकटता से मॉनीटरिंग करे कि राज्य तथा केन्द्र के पीएसयू अपने सांविधिक दायित्वों का पालन करते हैं।

v) विनिवेश/निजीकरण तथा प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने हेतु कार्यबल का गठन किया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुनर्संरचना संबंधी स्थायी समिति का गठन किया जाए ताकि कार्यबल की सिफारिशों को लागू किया जा सके। एक स्वतंत्र तकनीकी सचिवालय की भी स्थापना की जाए जो राज्यों के वित्त विभागों को पुनर्संरचना / विनिवेश प्रस्तावों पर सलाह दे।

14. विद्युत क्षेत्र के संबंध में:

- i) प्रेषण और वितरण नुकसान में कमी लाने के प्रयास मीटरिंग, फीडर सेपरेशन, हाईवोल्टेज वितरण प्रणालियों की शुरुआत, वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग तथा चोरी रोकने हेतु कठोर उपायों के जरिए किए जाएं। कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए वितरण फ्रेंचाइजिंग तथा विद्युत सेवा कम्पनी (ईएससीओ) आधारित संरचनाओं पर विचार किया जाए।
- ii) अव्यक्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए और प्रेषण तक मुक्त पहुंच को सुदृढ़ किया जाए। राज्य लोड प्रेषण केन्द्रों के जरिए अभिशासन में सुधार लाया जाए और इस कार्य को अन्ततः स्वायत्त बनाया जाए।
- iii) पन परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी से बचने के लिए उपयुक्त प्रणालियों को सामने लाया जाए।
- iv) तापीय विद्युत संयंत्रों का कोयले के स्रोतों से सुदूर स्थानों में स्थापित करने के बजाए, राज्य कोयला समृद्ध राज्यों में अथवा उसके निकट संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के बारे में विचार करें।
- v) केस 1 बोली प्रक्रिया को चरम मांग अवधियों के दौरान उच्च लागत खरीदी की अनिश्चतता से बचने हेतु उपयोग में लाया जाए।

vi) विनियामक संस्थाओं को क्षमता निर्माण, उपभोक्ता शिक्षा और मल्टी ईयर टैरिफ (एमवाईटी) जैसे टैरिफ सुधारों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए। कारपोरेट अभिशासन की श्रेष्ठ प्रथाओं को विद्युत क्षेत्र में लागू किया जाए।

15. नई पेंशन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

16. बड़ी मात्रा में नकदी शेष वाले राज्यों को नए सिरे से उधार लेने से पहले इनके उपयोग करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

17. लेखांकन सुधारों के संबंध में:

i) भारत सरकार को सभी राज्यों में बजटीय वर्गीकरण कोड में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यों के वित्त लेखों से संबंध परिशिष्टों की सूची को मानकीकृत बनाए जाने की आवश्यकता है।

ii) लोक लेखे तथा समेकित निधि के मध्य दुतरफा प्रविष्टियों तथा लेन-देनों के सारांश का विवरण राज्यों के वित्त लेखों में पृथक अनुबंध के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

iii) राज्यों के समेकित निधि से बाहर निधियों के सृजन के जरिए किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी निधियों तथा सिविल जमा राशियों के जरिए व्यय को सीएंडएजी के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार में लाया जाए।

iv) निम्नलिखित विवरणों को राज्यों के वित्त लेखों के साथ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है:

(क) सभी सब्सिडियों के संबंध में व्यापक आंकड़े।

(ख) प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या से सम्बद्ध समेकित सूचना जिसमें वेतन पर

वचनबद्धता भी शामिल हो। इस विवरण में कर्मचारियों संबंधी सूचना और उनका वेतन भी शामिल हो जहां ऐसा व्यय अनुदानों के रूप में दिखाया गया हो अथवा अन्य व्यय के तहत दर्ज हो।

(ग) अनुरक्षण व्यय का विवरण।

### केन्द्र के कर राजस्वों की भागीदारी

18. भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सा 2010-11 से 2014-15 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 32 प्रतिशत होगा। उत्पाद (विशेष महत्व की वस्तुओं) के अतिरिक्त शुल्क अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, सभी वस्तुओं को 1 मार्च 2006 से शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र ने चीनी तथा तम्बाकू-उत्पादों पर उत्पाद के आधारिक शुल्कों को समायोजित किया था। इन गतिविधियों के क्रम में, राज्यों का भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में हिस्सा 32 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहेगा, भले ही राज्य इन वस्तुओं पर बिक्री कर (अथवा मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाते हों।

19. संविधान के 88वें संशोधन की अधिसूचना की स्थिति में और ऐसी अधिसूचना के फलस्वरूप किसी विधान के अधिनियमन पर इस बात का सुनिश्चय किया जाए कि इस विधान के तहत राज्य को उपचित राजस्व उस भाग से कम नहीं होना चाहिए जो इस राज्य को उपचित हो, भले ही संपूर्ण सेवा कर केन्द्रीय करों के भागीदारी योग्य पूल का भाग रहा हो।

20. केन्द्र सरकार उपकरों/और अधिभारों को लगाने की समीक्षा करे ताकि उनकी हिंसेदारी अपने सकल कर राजस्व में घटे।

21. राज्यों को राजस्व लेखे में समग्र अंतरण से संबंध निर्देशात्मक उच्चतम सीमा को केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों के 39.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए।

22. वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समस्त भागीदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा सारणी 1.1 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

सारणी 1.1: राज्यों की पारम्परिक हिस्सेदारी		
राज्य	सेवा कर को छोड़कर समस्त भागीदारी योग्य करों का हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	6.937	7.047
अरुणाचल प्रदेश	0.328	0.332
असम	3.628	3.685
बिहार	10.917	11.089
छत्तीसगढ़	2.470	2.509
गोवा	0.266	0.270
गुजरात	3.041	3.089
हरियाणा	1.048	1.064
हिमाचल प्रदेश	0.781	0.793
जम्मू और कश्मीर	1.551	nil
झारखण्ड	2.802	2.846
कर्नाटक	4.328	4.397
केरला	2.341	2.378
मध्य प्रदेश	7.120	7.232
महाराष्ट्र	5.199	5.281
मणिपुर	0.451	0.458
मेघालय	0.408	0.415
मिजोरम	0.269	0.273
नागालैंड	0.314	0.318
उड़ीसा	4.779	4.855
पंजाब	1.389	1.411
राजस्थान	5.853	5.945
सिक्किम	0.239	0.243
तमिल नाडु	4.969	5.047
त्रिपुरा	0.511	0.519
उत्तर प्रदेश	19.677	19.987
उत्तराखंड	1.120	1.138
पश्चिम बंगाल	7.264	7.379
<b>सभी राज्य</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## राजकोषीय समेकन हेतु संशोधित रूपरेखा

### केन्द्र सरकार

23. केन्द्र के राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर रूप में घटाए जाने और समाप्त किए जाने की आवश्यकता है जिससे आगे चलकर 2014-15 तक राजस्व अधिशेष की स्थिति उभरकर सामने आए।

24. केन्द्र और राज्यों के संयुक्त ऋण के संबंध में जीडीपी का 68 प्रतिशत लक्ष्य 2014-15 तक प्राप्त किया जाए। राजकोषीय समेकन के मार्ग में केन्द्र के वर्धित ऋण स्टॉक में 1014-15 तक जीडीपी के 45 प्रतिशत तक और राज्यों के संबंध में 2014-15 तक जीडीपी में 25 प्रतिशत तक सतत कमी लाना है।

25. मध्यावधि राजकोषीय कार्ययोजना (एमटीएफपी) को संशोधित किया जाए और आशय विवरण की अपेक्षा वचनबद्ध विवरण तैयार किया जाए। एमटीएफपी और वार्षिक बजट प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराए गए बहुवर्षीय फ्रेमवर्क के मध्य टोस एकीकरण की अपेक्षा है।

26. निम्नलिखित प्रकटन वार्षिक केन्द्रीय बजट/एमटी-एफपी के साथ किया जाए:

- आयोजना-भिन्न तथा आयोजना अनुदानों की समग्र श्रेणी के अंतर्गत राज्यों को अनुदानों का विस्तृत ब्यौरा।
- कर व्यय के विवरण को सुव्यवस्थित रखा जाए और तौर तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।
- प्रमुख कर प्रस्तावों की अनुपालन लागत को सूचित की जाए।
- पूँजी व्यय के राजस्व परिणामों का एमटीएफपी में अनुमान लगाया जाए।
- एमटीएफपी में मुख्य नीति परिवर्तनों के राजकोषीय परिणाम को शामिल किया जाए।

vi) एमटीएफपी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी देयाताओं को सूचित किया जाए।

vii) एमटीएफपी मानदंड मूल्यों को सुनिश्चित करे जिसमें प्राप्तियों और व्यय के अनुमान निहित हों और लक्ष्यों के अनुरूप रहते हुए जिस सीमा के अंतर्गत वे भिन्न हो सकते हैं।

27. लोक लेखे में विनिवेश प्राप्तियों के अंतरण को समाप्त किया जाए और सभी विनिवेश प्राप्तियों को समेकित निधि में बनाए रखा जाए।

28. भारत सरकार ऐसे समस्त सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची तैयार करे जिनमें परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल की निम्न दर प्राप्त होती है तथा जो विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम है।

29. एफआरबीएम अधिनियम को उन आघातों के स्वरूप को विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें एफआरबीएम लक्ष्यों में छूट देना अपेक्षित है।

30. स्थूल आर्थिक आघातों के मामले में, राज्यों की उधार सीमाओं में छूट देने तथा उन्हें अधिक उधार की अनुमति देने के बजाय केन्द्र राज्यों के मध्य पारस्परिक वितरण हेतु वित्त आयोग कर अंतरण फार्मूले का उपयोग करते हुए उधार दे और संसाधनों का अंतरण करें।

31. वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बकाया राशि जैसे संरचनात्मक आघातों से बचा जाए, बकाया राशि के मामले में, वेतन का भुगतान उसी तिथि से किया जाए जिस तारीख से वह स्वीकृत है।

32. केन्द्र द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र की स्थापना की जाए इसके राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का मूल्यांकन करे। स्वतंत्र समीक्षा तंत्र में राजकोषीय परिषद को शामिल किया जाए जिसके पीछे विधायी शक्ति हो।

### राज्य सरकारें

33. 2008-09 और 2009-10 के अपवादात्मक परिस्थितियों को देखते हुए, राज्यों की राजकोषीय समेकन प्रक्रिया बाधित हुई। आशा है कि राज्य 2011-12 तक अपने राजकोषीय सुधार के मार्ग पर वापस आने में समर्थ होंगे जिसमें 2010-11 में उन्हें एक वर्ष हेतु समायोजन की अनुमति दी जाएगी।

i) ऐसे राज्य जिन्होंने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा किया है अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है, उन्हें 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त कर लेना चाहिए तथा राजस्व शेष बनाए रखना चाहिए अथवा उसके बाद वे अधिशेष प्राप्त करेंगे। अन्य राज्यों को 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना चाहिए।

ii) सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होंने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है, उन्हें 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा प्राप्त करना चाहिए तथा ऐसे घाटे को उसके बाद बनाया रखना चाहिए। अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों को 2013 तक 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

iii) 2007-08 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे के आधार वाले सभी विशेष श्रेणी के राज्य 2011-12 में 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा कर सकते हैं तथा उसके बाद इसे बनाए रख सकते हैं। मणिपूर, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखण्ड 2013-14 तक अपने जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा कम करेंगे।

iv) जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम को 2014-15 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करना चाहिए।

34. राज्यों को राजकोषीय सुधार का रास्ता अपनाने के लिए एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन/अधिनियमन करना चाहिए। किसी राज्य के लिए संयुक्त राज्य विशिष्ट अनुदान अनुपालन हेतु जारी करना चाहिए।

35. एफआरबीएम अधिनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र समीक्षा/मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना राज्यों द्वारा करनी चाहिए।

36. वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय सुधार मार्ग का उपयोग करते हुए राज्यों के लिए उधार सीमाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार हेतु प्रवर्तन तंत्र के बतौर कार्य करना चाहिए।

37. 2006-07 तक संविदा किए गए राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों को दिए गए ऋण और 2009-10 के अंत में बकाया राशि को निर्धारित शर्तों के अधीन ब्याज की 9 प्रतिशत की दर पर पुनः निर्धारित किया जाएगा।

38. राष्ट्रीय लघु बचत योजना को बाजार संबंध योजना में रूपांतरित किया जाएगा। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने स्तर पर संगत सुधार करें।

39. 2009-10 के अंत में बकाया भारत सरकार से राज्यों को प्रदत्त और वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित को निर्धारित शर्तों के अधीन बढ़े-खाते में डाला जाएगा।

40. राजकोषीय दृष्टि से कमजोर राज्यों के लिए जो बाजार से ऋण जुटाने में अक्षम हैं, केन्द्र सरकार से उधार हेतु विंडो की व्यवस्था करना आवश्यक है।

41. ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के अंतर्गत समेकन लाभ प्राप्त न किए राज्यों के संबंध में, यह सुविधा समेकन तथा ब्याज दर कटौती तक सीमित रहते हुए एफआरबीएम अधिनियम के अधिनियम के अधीन विस्तारित की जानी चाहिए।

42. एनएसएसएफ दर ब्याज राहत का लाभ और बढ़े खाते को राज्यों को तभी उपलब्ध कराया जाए जब वे एफआरबीएम के संबंध में आवश्यक संशोधन / अधिनियम की व्यवस्था करें।

#### स्थानीय निकाय

43. संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) और (ग) में संशोधन इस प्रकार किया जाए कि इसमें प्रयुक्त शब्दों 'राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर' को 'राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद' से परिवर्तित किया जाए।

44. संविधान के अनुच्छेद 243(1) में संशोधन 'प्रत्येक पांचवें वर्ष' शब्दों के बाद 'अथवा पहले' वाक्यांश को शामिल कर लिया जाए।

45. स्थानीय निकाय, अनुदानों की प्रमात्रा सारणी 10.4 के अनुसार उपलब्ध करायी जाए, सामान्य आधार्क अनुदान तथा विशेष क्षेत्र आधार्क अनुदान यथानिर्दिष्ट राज्यों में आबंटित किया जाए। इन अनुदान के संबंध में राज्यवार पात्रता अनुबंध 10.15 क और 10.15 ग में दिखायी गयी है।

46. राज्य सरकारें सामान्य निष्पादन अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन हेतु तभी पात्र होंगी जब वे निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हैं। इन अनुदानों को विनिर्दिष्ट तरीके से संवितरित किया जाएगा। 86,161.4 करोड़ रुपए के सामान्य मूल तथा निष्पादन अनुदान की राशि का संवितरण पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) तथा शहरी स्थानीय बोर्ड (यूएलबी) के बीच क्रमशः 73.177 प्रतिशत तथा 26.823 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2010-11 से 2014-15 के दौरान 1,357 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। इन अनुदानों के संबंध में राज्यवार पात्रता अनुबंध 10.15ख और 10.15घ में दी गयी है।

47. राज्यों को सामान्य आधारिक अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान के अपने हिस्से के भाग का आबंटन विशेष क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में करना चाहिए। यह आबंटन हमारे द्वारा संस्तुत विशेष क्षेत्र आधार के अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के अतिरिक्त होगा।

48. राज्य सरकारों को उपयुक्त तरीके से अपने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभागों को क्षमता निर्माण तथा कार्मिकों में बढ़ोतरी के जरिए सुदृढ़ करना चाहिए।

49. राज्य सरकारों को कुछ अथवा सभी स्थानीय करों के अधिदेश को लेवी के शून्येतर दरों पर बाध्यकारी रूप में, स्थानीय निकायों के अंतरण पात्रता से स्व राजस्व संग्रहण में कटौती द्वारा, अथवा समतुल्य अनुदानों की प्रणाली के जरिए स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

50. लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु, वित्त लेखे में एक पृथक विवरण शामिल होना चाहिए जिसमें पंचायत राज्य संस्थाओं (पीआरआई) तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) दोनों के संबंध में बजट में यथा उपयोग किए उन्हीं शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक व्यय का शीर्षवार ब्यौरा उल्लिखित हो। हम सिफारिश करते हैं कि इन परिवर्तनों को 31 मार्च 2012 से प्रभावी बनाया जाए।

51. भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कार्यकारी अनुदेश जारी करें ताकि उनके संबंध विभाग स्थानीय निकायों को उपयुक्त सेवा प्रभार को भुगतान कर सकें।

52. राज्य सरकारों की रायल्टियों से प्राप्त वर्धित आय को देखते हुए, उन्हें इस आय के हिस्से की भागीदारी उन स्थानीय निकायों के साथ करनी चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसी आय सृजित होती है।

53. राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की सिफारिशें अविलंब कार्यान्वित

की जाए तथा की गयी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को तुरंत विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

54. एसएफसी अनुबंध 10.5 में सुझायी गयी उस प्रणाली पर विचार करे जो उनकी रिपोर्टों का आधार हो।

55. एसएफसी सदृश निकाय उन राज्यों में स्थापित की जाए जिन्हें संविधान के भाग IX द्वारा कवर नहीं किया गया है।

56. स्थानीय निकाय पहचान की गयी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर विचार करें।

57. शहरी स्थानीय निकायों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान का भाग उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अग्नि सेवाओं में सुधार हेतु किया जाए।

58. स्थानीय निकायों को शहरी नियोजन कार्यों से सहयोजित किया जाए जहां कहीं अन्य विकास प्राधिकारी इस कार्य के लिए अधिदेशित हैं। इन प्राधिकारियों को स्थानीय निकायों के साथ अपने राजस्व का भी वहन करना चाहिए।

59. छावनी क्षेत्रों (बिलों के सक्रिय नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) के अंतर्गत सिविलियन क्षेत्रों हेतु विकास योजनाएं जिला नियोजन समितियों के समक्ष लायी जाएं।

60. राज्य सरकारें नगर पंचायतों के गठन हेतु दिशानिर्देश तैयार करें।

### आपदा राहत

61. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि और आपदा राहत निधि (सीआरएफ) को संबद्ध राज्यों के राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) में मिला दिया जाए। एसडीआरएफ के लिए अंशदान का वहन सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में किया जाए।

62. सीआरएफ और एनसीसीएफ के अंतर्गत 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शेष राशि का अंतरण संबंध एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को किया जाए।
63. एनडीआरएफ के लिए बजटीय प्रावधान को निधि से पिछले वर्ष के व्यय से संबंध किए जाने की आवश्यकता है। जीएसटी के प्रारंभ होने पर उपकरणों को उसमें मिलाने से; वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है।
64. एसडीआर का कुल आकार 33.381 करोड़ आंका गया है जिसे क्षमता निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान के साथ उपर्युक्त दिए गए अनुपात में वहन किया जाएगा।
65. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को त्वरित राहत हेतु अपेक्षित मदों के स्टॉक को बनाए रखने के लिए 250 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
66. आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम में जिला आपदा अनुक्रिया निधि (डीडीआरएफ) से संबंध प्रावधानों की समीक्षा की जाए और इन निधियों के सृजन को संबंध राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
67. एफसी अनुदानों के जरिए निधिपोषित योजनाओं को शमन और पुनर्निर्माण गतिविधियों से बाहर रखा जाए और केन्द्र तथा राज्यों की समग्र विकास आयोजना निधि की पूर्ति की जाए।
68. एफसी अनुदानों के जरिए निधिपोषित योजनाओं के तहत कवर की जाने वाली आपदाओं की सूची यथावत बनी रहनी चाहिए। तथापि, एनडीआरएफ निधिपोषण के लिए उच्च तीव्रता की मानव निर्मित आपदाओं को ध्यान में रखा जाए, एक बार मानदंड तय कर दिए जाएं और अपेक्षित अतिरिक्त आबंटन एनडीआरएफ को किया जाए।
69. डीएम अधिनियम अर्थात् केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए/राष्ट्रीय कार्यकारी

परिषद (एनईसी) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी (एसडीएमए) / राज्य कार्यकारी परिषद (एसईसी) के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले आपदा राहत के लिए प्रशासनिक तंत्र। वित्तीय मामले वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदा प्रक्रिया अनुसार निपटाए जाएंगे।

70. एससीआरएफ के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखने हेतु निर्धारित लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया जाए।

## राज्यों को सहायता अनुदान

### एनपीआरडी और निष्पादन प्रोत्साहन

71. आठ राज्यों हेतु पंचाट अवधि के लिए 51,800 करोड़ रुपए की कुल आयोजना-भिन्न राजस्व अनुदान की सिफारिश की गयी है (रिपोर्ट की सारणी 12.4)।

72. ऐसे तीन विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपए के निष्पादन अनुदान की सिफारिश की जाती है जिन्हें आयोजना - भिन्न राजस्व घाटा (एनपीआरडी) स्थिति से क्रमबद्ध किया गया है।

### प्राथमिक शिक्षा

73. पंचाट अवधि हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए 24,068 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है।

74. शिक्षा अनुदान प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य व्यय के अतिरिक्त होगा। संस्तुत अनुदानों सहित प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत व्यय (आयोजना + आयोजना-भिन्न) अर्थात् मुख्य शीर्ष - 2202, उप मुख्य शीर्ष - 01, वर्ष 2010-15 के दौरान कम से कम 8 प्रतिशत की दर पर पड़ेगा।

### पर्यावरण

75. पंचाट अवधि हेतु वन अनुदान के रूप में 5,000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की गयी है।

76. पहले दो वर्ष के लिए अनुदानों शर्त रहित हैं लेकिन कार्य आयोजनाओं की तैयारी को प्राथमिकता दी जाए। पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदानों की निर्मुक्ति को अनुमोदित कार्य आयोजनाओं की संख्या में प्रगति से संबंध किया जाए।

77. पिछले तीन वर्षों में अनुदानों का पच्चीस प्रतिशत भाग वन संपदा के संरक्षण के लिए है। ये अनुदान वानिकी तथा वन्य जीवन (मुख्य शीर्ष-2406) संबंधी आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के अतिरिक्त है और अनुबंध 12.3 में दी गयी शर्तों के अधीन होगा। पिछले तीन वर्षों में अनुदानों के पचहत्तर प्रतिशत का उपयोग विकास उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

78. ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश की जाती है जो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता परिवर्धन में राज्यों की उपलब्धियों पर आधारित है। इस संबंध में राज्यों के निष्पादन की राज्यों द्वारा क्षमता परिवर्धन पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

79. चार वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2014-15 की पंचाट अवधि हेतु जल क्षेत्र प्रबंधन अनुदान के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गयी है।

80. जल क्षेत्र अनुदान की निर्मुक्ति जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और सामान्य रूप से मूल्यांकित जल प्रभारों की राज्य विशिष्ट वसूली प्राप्त करने के अधीन होगी।

81. जल क्षेत्र अनुदान सामान्य व्यय के लिए अतिरिक्त राशि के बतौर होने चाहिए जिन्हें राज्यों द्वारा देखा जाएगा और अनुबंध 12.8 में दी गयी शर्तों के अनुसार उन्हें निर्मुक्त तथा मॉनीटर किया जाएगा।

### परिणामों में सुधार

82. राज्यों के अपने ऐसे निवासियों का नामांकन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जो विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेते हैं। उस संबंध में राज्य सरकारों को 2,989 करोड़ रुपए का अनुदान देना प्रस्तावित है जैसा अनुबंध 12.9 में दर्शित है।

83. राज्यों को 31 दिसंबर 2009 से आगे उनके निष्पादन के आधार पर अपनी शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है।

84. न्याय प्रशासन में कई पहलुओं में सुधार को सहायता प्रदान करने हेतु 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। इनमें प्रातः/सायं न्यायालयों का प्रचालन, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को प्रोत्साहन देना, लोक अदालतों की सहायता बढ़ाना तथा विधिक सहायता और प्रशिक्षण देना शामिल है।

85. राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं में नवाचारों की पहचान दस्तावेज तथा प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिक नवाचार प्रणाली केन्द्र (सीआईपीएस) की स्थापना द्वारा नवाचार प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। 1 करोड़ रुपए प्रति जिले का दूसरी अनुदान जिला नवाचार निधि (डीआईएफ) के सृजन के लिए है जिसका उद्देश्य पहले से सृजित पूंजी परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

86. सांख्यिकीय प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु हम भारतीय सांख्यिकीय परियोजना (आईएसपी) द्वारा पहचान न किए गए क्षेत्रों में सांख्यिकीय ढांचागत अंतर की पूर्ति हेतु प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए भी दर पर राज्य सरकारों को 616 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

87. कर्मचारी तथा पेंशनर डाटाबेस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रत्येक सामान्य श्रेणी राज्य और 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य को उपलब्ध कराया जाएगा। हम भारत सरकार से यह भी आग्रह करते हैं कि वह अपने स्वयं के कर्मचारियों तथा पेंशनरों हेतु डाटाबेस तैयार करने के लिए समानान्तर प्रयास प्रारंभ करे।

#### सड़कों तथा पुलों का रख-रखाव

88. हमारे पंचाट अवधि के चार वर्षों (2011-12 से 2014-15) के लिए सड़कों तथा पुलों के रखरखाव हेतु अनुदान के रूप में 19,930 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की गयी है।

89. सड़कों तथा पुलों के लिए रख-रखाव अनुदान उस सामान्य रख-रखाव व्यय के अतिरिक्त होगा जो राज्यों द्वारा किया जाता है। इस अनुदान की निर्मुक्ति तथा व्यय अनुबंध 12.17 में दर्शित शर्तों के अधीन होगा।

#### राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं

90. राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए 27,945 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश की जाती है।

91. अन्यत्र वर्णित शर्तों के अतिरिक्त राज्य विशिष्ट अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

- I. राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु किसी राज्य विशिष्ट अनुदान से किसी निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी परियोजना/निर्माण हेतु भूमि अपेक्षित है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- II. सारणी 12.6 में दिए गए राज्य विशिष्ट अनुदानों की स्थिति केवल निर्देशात्मक है; राज्य अपनी अपेक्षित स्थिति से केन्द्र सरकार को सूचित कर सकते हैं। यह अनुदान प्रतिवर्ष अधिकतम दो किस्तों में जारी की जा सकती है।

III. लेखा का रखरखाव तथा उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी/व्यय विवरण (एसओई) को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

#### मॉनीटरिंग

92. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग समिति अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करेगी सुधारात्मक उपाय करेगी। इसे 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थापित किया गया है जो आगे बनी रहेगी।

93. पंचाट अवधि हेतु राज्यों के संस्तुत कुल सहायता अनुदान राशि सारणी 1.2 में दी गयी है।

सारणी 1.2: राज्यों को सहायता अनुदान		
(करोड़ रुपए)		
I. स्थानीय निकाय		87,519
II. आपदा राहत (जिसमें क्षमता निर्माण शामिल है)		26,373
III. पश्च-अंतरण आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा		51,800
IV. निष्पादन प्रोत्साहन		1,500
V. प्राथमिक शिक्षा		24,068
VI. पर्यावरण		15,000
(क) वनों का संरक्षण	5,000	
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा	5,000	
(ग) जल क्षेत्र प्रबंधन	5,000	
VII. परिणामों में सुधार		14,446
(क) शिशु मृत्यु दर में कमी	5,000	
(ख) न्याय प्रदान करने में सुधार	5,000	
(ग) यूआईडी जारी करने हेतु प्रोत्साहन	2,989	
(घ) जिला नवोन्मेष निधि	616	
(ङ) राज्य तथा जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार	616	
(च) कर्मचारी तथा पेंशन डाटाबेस	225	
VIII. सड़क तथा पुलों का रख-रखाव		19,930
IX. राज्य विशिष्ट		27,945
X. जीएसटी मॉडल का कार्यान्वयन		50,000
<b>जोड़</b>		<b>3,18,581</b>

## भावी परिदृश्य

संघीय वित्त के संदर्भ में यह स्वयं अपनी विशिष्ट चुनौतियां पेश करता है जिन पर आयोग ने उसके पास मौजूद साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी सिफारिशों में ध्यान देने का प्रयास किया है। तथापि यह बात समझी जानी चाहिए कि परिवर्तन की प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों की समयावधि, अथवा इन सिफारिशों का दायरे तक सीमित नहीं है। अतः इसने उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारत के लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने और भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का फायदा उठाने में समर्थ बनाने हेतु पूरी तरह तैयार राजकोषीय ढांचा खड़ा करने के लिए मध्यमावधि और दीर्घावधि में पूरक कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है।

इस आयोग के विचार विमर्श ऐसे राजकोषीय वातावरण में संचालित किए गए हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव का बोलबाला रहा है। जब इसे इसमें प्रस्तावित ढंग से लागू किया जाएगा तो इससे भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली विश्व की सर्वोत्तम प्रणालियों में शुमार हो जाएगी। यह केन्द्र और राज्यों के बीच वृहत असन्तुलन को कम करेगा। इससे पूरे देश में एक साझा बाजार तैयार होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंतर्गत पूरी तरह ध्येय सिद्धांत अपनाने से विकृतियां कम होंगी। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और निर्यातों का प्रोत्साहित करेगा। इससे निवेश संबंध निर्णय पूरी तरह आर्थिक हितों के आधार पर लेने और पिछड़े राज्यों को सहायता करने में मदद मिलेगी। यह सरकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास होगा जिसमें सभी भागीदार इसके ढांचे को स्वीकार करके राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करेंगे। इस प्रकार का आदर्श वस्तु एवं

सेवा कर संघीय वित्त के नए ढांचे का महत्वपूर्ण स्तम्भ होगा।

आयोग उन संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने का भी आग्रह करेगा जिनसे तृतीय स्तर विभाज्य पूल से सीधे तौर पर संसाधन प्राप्त कर सके। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में भी भविष्य में स्थानीय निकायों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि उपभोग आधारित और प्रोत्साहन संगत कर होने के कारण, यह तृतीय स्तर को सीधे आवंटन के लिए पूर्ण उपयुक्त है।

भावी नीतिगत पहलों को लेने के लिए भविष्य में आगे सुधारों पर भी आयोग ने बल दिया है जिनमें उत्तरोत्तर वित्त आयोगों द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं, ताकि इन्हें समकालीन नीतिगत उपायों के सामंजस्य में लाया जा सके। भावी वित्त आयोगों के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण उदाहरण पंचाट अवधि की समय सीमा के भीतर, न कि केवल जिस अवधि के लिए निर्णयों की सिफारिशों की जाती है (जैसा कि वर्तमान आयोग तक है) अवार्ड पैरामीटरों का अद्यतनीकरण होगा (जैसा कि क्षेत्रीय अंतरण और अनुदान फार्मूला तय करने के पैरामीटर)। विशेष महत्व के क्षेत्रों में वन आच्छादन, राज्यों की भीतर विसंगतियों की बेहतर समझ और विशिष्टीकरण हेतु सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर जिला स्तर के आंकड़े तथा घरेलू और सीमा आर-पार प्रेषणों और अन्तर्राज्यीय व्यापार शामिल हैं। हमें मानव विकास और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर भी बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता होगी। शासन के आयाम को लागू करने हेतु गतिशील पैरामीटरों जैसे कि एमडीजी प्रगति के संकेतकों से संबंधित पैरामीटरों पर विचार करना आवश्यक होगा। इन पैरामीटरों के प्रयोग से राज्य

शासन में सुधान लाने के उपायों के बारे में सोचने और परिणाम आधारित सेवा सुपूर्दगी में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहित होंगे।

एक मुद्दा जिस पर आंकड़ों की उपलब्धता में समय अंतरालों को समाप्त करने और तुलनीय जीएसडीपी आंकड़े तैयार करने की कठिन प्रक्रियार को बंद करने के उद्देश्य से अति तात्कालिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग का विचार था कि संबंधित सभी एजेन्सियों, को नियमित और समयबद्ध आधार पर तुलनीय जीएसडीपी आंकड़ों के वितरण के लिए एक ब्लुप्रिंट और पद्धति पर सामूहिक रूप से तैयार करना चाहिए। यह भी समानरूप से महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी तैयार करने और निवल अंतर्वाहों प्रेषणों सहित राज्यों को प्राप्त होने वाली आय के अनुमानों को तैयार करने हेतु वृहत्तर जिम्मेदारी ग्रहण करे।

आयोग ने अंतर्सरकारी राजकोषीय प्रबंधों में पर्यावरणीय आयाम शुरू करके एक शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त यह परिकल्पना है कि जैसे-जैसे पर्यावरणीय सुस्थिरता विकास नीति निर्माता का केन्द्रीय बिंदु बनेगा, भविष्य में इस आयाम का महत्व बढ़ता जाएगा और इस सुस्थिरता को प्राप्त करने में प्रोत्साहनों की भूमिका समय के साथ बढ़ती जाएगी। विशेषकर, उन आयामों में जो गरीबी और कमजोर तबकों को उनके दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्वच्छता, प्रदूषण और जैव विविधता।

आयोग ने संस्थागत सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने हेतु जैसे कि वित्तमंत्रियों की एक परिषद, राजकोषीय परिषद, एक स्थानीय निकाय लोकपाल का गठन आदि जैसे अनेक

उपायों की घोषणा की है। ये उन समग्र प्रयासों का एक भाग है, जिनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहे भारत की मांगों के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है।

आज, राज्य सामूहिक रूप से विवेकयुक्त और विकासोन्मुख राजकोषीय नीतियां बनाए रखने में सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य को अलग-अलग लेने पर इस अत्यधिक रूप से सकारात्मक सामूहिक अनुभव से सर्वोत्तम पद्धति की दृष्टि से बहुत कुछ सीखने को है। वे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां इन सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण किया जा सकता है उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के लेखों की समयबद्ध और सटीक रिपोर्टिंग, लोक-लेखा समितियों जैसी विधायी पर्यवेक्षणी समितियों के साथ संव्यवहार, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का अनुपालन, मध्यमावधि राजकोषीय फ्रेमवर्कों की प्रभावी संरचना और स्थानीय निकायों की राजकोषीय और प्रचालनात्मक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल हैं। लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, जो सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, नियमित आधार पर प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय स्तर पर, मुख्य कार्य पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो समग्र विकास नीति निर्माण की जरूरतों के अनुरूप एक उपयुक्त राजकोषीय नीति तैयार करने और कार्यान्वित करने से संबंधित है।

आधुनिकीकरण के संबंध में राजकोषीय नीति की रूपरेखा बनाना एवं इसे तैयार करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की पुनः एक व्यापक जांच भावी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की एक

अधिकाधिक आधुनिक कार्य योजना को अशाकित एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता के साथ महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्नत नीति निर्माण और विश्लेषण क्षमताओं तथा कार्य के प्रति विगत से अधिक निकटस्थ और ऐकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि, यह बहुत बड़ी संभावित चिंता का विषय है कि विकास में विसंगतियों में वृद्धि से अवसरों और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच में अंतर दृष्टिगोचर नहीं होने चाहिए। इस संबंध में देश के समग्र विकास संबंधी नीतिगत ढांचे की संरचना के

लिए उत्तरदायी संस्थाओं, विशेषकर योजना आयोग को मंथन करना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न वास्तविक और दृष्टव्य विसंगतियों को दूरस्त करने के लिए किए गए राजकोषीय उपायों से केवल लक्षणों का निदान और अपने सभी बहुल आयामों सहित समावेशी विकास हासिल न करने के परिणामों का मन्दन हो सकता है। अतः हम भारत जैसे विशाल; जीवंत और विविधतापूर्ण देश के लिए प्रासंगिक सभी बहु आयामों में समाविष्ट विकास को हासिल करने के महत्व की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे।

## तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन<sup>1</sup>

1. तेरहवें वित्त आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) 13 नवंबर 2007 को राष्ट्रपति द्वारा 2010-15 के दौरान केन्द्र राज्य के बीच राजकोषीय संबंधों के विनिर्दिष्ट पहलुओं पर सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था। आयोग ने 30 दिसंबर 2009 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपने जनादेश के सभी पहलुओं को शामिल किया।

2. 1 अप्रैल 2010 से आरंभ होने वाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट (इसके बाद रिपोर्ट के रूप में संदर्भित) सहित तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के रूप में व्याख्यात्मक ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य केन्द्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों की साझेदारी, अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों के राजस्व की सहायता, माल और सेवा कर (जीएसटी), राहत योजना का वित्तपोषण और राजकोषीय समेकन से संबंधित मुख्य सिफारिशों का सारांश आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 1 में निहित है।

3. सरकार ने आयोग की मुख्य सिफारिशों की ध्यान से जांच की है। इन सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाइयों का विस्तृत वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

### केन्द्रीय करों की साझेदारी

4. आयोग ने सिफारिश की है कि अपने अधिनिर्णय अवधि के लिए केन्द्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जा सकता है। आयोग ने राज्यों के हिस्से में से अंतर - राज्यों के वितरण पर सिफारिश की है। आयोग द्वारा

<sup>1</sup> आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी 2010 को जारी और सार्वजनिक पहुंच हेतु उपलब्ध कराया गया।

सिफारिश किए गए अंतर राज्यों के वितरण और तदनुसूची हिस्से के लिए सूत्र के विवरण रिपोर्ट के अध्याय 8 में दिए गए हैं। इसने यह भी सिफारिश की है कि राजस्व खाते में राज्यों के कुल अंतरणों के संबंध में केंद्र के सकल कर राजस्व के 39.5 प्रतिशत की एक सांकेतिक सीमा होनी चाहिए।

*सरकार ने आयोग की उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

### संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों के राजस्व अनुदान की सहायता

5. गैर योजनागत राजस्व घाटा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों, परिणाम में सुधार, सड़कों और पुलों का रखरखाव, स्थानीय निकायों, आपदा राहत, जीएसटी को लागू करने और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य विशिष्ट अनुदान के लिए आयोग ने अनुदान में राज्यों के राजस्व अनुदान की सहायता की सिफारिश की है।

### गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान

6. आयोग ने 2010-15 की अवधि के लिए राज्यों के राजस्व और व्यय का मूल्यांकन किया है और केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की राशि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए घाटे का अनुमान लगाया है। आयोग ने इस घाटे को पूरा करने के लिए आठ राज्यों के लिए 51,800 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि की सिफारिश की है। प्रत्येक राज्य के लिए सिफारिश की गई अनुदान की राशि वर्ष-वार रूप में रिपोर्ट के अध्याय 12 में दी गई है। आयोग ने तीन विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों यथा असम, सिक्किम और उत्तराखंड जो गैर-योजनागत राजस्व घाटे से निकल गए हैं उनके लिए 1,500 करोड़ रुपये का निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान देने की भी सिफारिश की है। इन अनुदानों के बारे में विस्तृत विवरण रिपोर्ट के अध्याय 12 में दिया गया है।

*सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।*

### प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान

7. आयोग ने सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता का आकलन किया है और 24,068 करोड़ रुपए जो कि आकलित अपेक्षा का 15 प्रतिशत के बराबर है का अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार आवंटन की राशि एवं इस अनुदान को प्रदान किए जाने की शर्त रिपोर्ट के अध्याय 12 में दिए गई हैं।

*सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।*

### पर्यावरण संबंधित अनुदान

8. आयोग ने इस श्रेणी के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए के तीन अनुदानों, जिसका कुल योग 15,000 करोड़ रुपए है, की सिफारिश की है। प्रत्येक 5,000 करोड़ रुपए का पहला अनुदान वनों हेतु अनुदान है, दूसरा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है और तीसरा जल क्षेत्र के लिए है। प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार आवंटन एवं जल क्षेत्र एवं अक्षय ऊर्जा के लिए अनुदान की शर्तें रिपोर्ट के अध्याय 12 में दर्शायी गई हैं। अक्षय ऊर्जा प्रदान किए जाने के लिए पात्रता के संबंध में प्रत्येक राज्य की पात्रता रिपोर्ट के अध्याय 12 में यथा उल्लिखित अधिनिर्णय अवधि के पहले चार वर्षों में इस संबंध में प्रत्येक राज्य की उपलब्धियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

*सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

### परिणामों में सुधार के लिए अनुदान

9. आयोग ने इस श्रेणी के अंतर्गत छः अनुदानों की सिफारिश की है जो अधिनिर्णय की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 14,446 करोड़ होगा। शिशु मृत्यु दर में कमी

के लिए 2012-13 से राज्यों को 5,000 करोड़ का एक प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा जो 2009-10 के आंकड़ों के आधारभूत स्तर के संदर्भ में राज्यों द्वारा हासिल की गई शिशु मृत्यु दर में कमी के संदर्भ में होगा। न्याय को बेहतर ढंग से प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश लोक अदालतों और कानूनी सहायता, वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, प्राचीन धरोहर वाले न्यायालय भवन, राज्य न्यायिक अकादमी और न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए की गई है। विशिष्ट पहचान-पत्र (याआईडी) कार्यक्रम के लिए 2,989.10 करोड़ रुपए की राशि को यूआईडी के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर जारी किया जाएगा। 616 करोड़ रुपए के दो अनुदानों की सिफारिश जिला अभिनव कोष और राज्य स्तरों पर सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए की गई है। अंततः कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डेटाबेस की स्थापना के लिए 225 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई है।

*सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

### सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए अनुदान

10. आयोग ने राज्य में सड़कों की साधारण मरम्मत की आवश्यकता का आकलन किया है और 19,930 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है जो कि, पीएमजीएसवाई सड़कों की आकलित आवश्यकता का 90 प्रतिशत और अन्य सड़कों के लिए आकलित आवश्यकता का 50 प्रतिशत के समकक्ष है जो 2011-12 से आरंभ होने वाली अधिनिर्णय की अवधि से चार वर्षों के लिए है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटन एवं इस अनुदान के लिए शर्तें रिपोर्ट के अध्याय 12 में दी गई हैं।

*सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

## राज्य विशिष्ट अनुदान

11. आयोग ने विभिन्न राज्यों की राज्य विशिष्ट जरूरतों के लिए 27,945 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान की प्रत्येक मद का विस्तृत विवरण रिपोर्ट के अध्याय 12 में दिया गया है।

*सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

12. राज्य स्तर पर उपर्युक्त सभी अनुदानों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति स्थापित करने की सिफारिश की है। उपरोक्त अनुदान के अलावा, आयोग ने जीएसटी लागू करने, स्थानीय निकायों और आपदा राहत और इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों के लिए अनुदान की सिफारिश की है, जो निम्नानुसार हैं।

## माल और सेवा टैक्स

13. आयोग ने एक मॉडल जीएसटी संरचना की सिफारिश की है, जिसमें एकल दर, निर्यात की शून्य रेटिंग, जीएसटी दायरे में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को शामिल करना, छूट संरचना का व्यापक यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल है। आयोग ने मॉडल के अनुसार जीएसटी कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की। इस अनुदान का शुरुआत में जीएसटी कार्यान्वयन के कारण हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना है और अवशिष्ट राशि को अधिनिर्णय की अवधि के दौरान अंतरण फॉर्मूला के अनुसार अंतिम वर्ष में राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। इसने अनुदान के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रशासनिक ढांचे की भी सिफारिश की है।

*सरकार ने इन सिफारिशों की सैद्धांतिक रूप में मान लिया है। तथापि, इस संबंध में केन्द्र एवं राज्यों के बीच जारी चर्चाओं को देखते हुए इसके तौर तरीकों के*

*साथ इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए चर्चाओं के परिणाम का इंतजार करना होगा।*

## स्थानीय निकाय

14. आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए आधारभूत अनुदान और एक निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है। पूर्ववर्ती वर्ष के विभाज्य पूल के आधार पर किसी भी वर्ष के लिए इन दोनों अनुदानों की मात्रा की गणना की गई है। अधिनिर्णय अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग ने पूर्ववर्ती वर्ष के विभाज्य पूल के आकार के 1.5 प्रतिशत के बराबर के आधारभूत अनुदान की सिफारिश की है। इसी तरह से 2011-12 के लिए आयोग ने पूर्ववर्ती वर्ष के विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत के एक निष्पादन अनुदान की और अधिनिर्णय अवधि में आगामी वर्षों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के विभाज्य पूल के 1 प्रतिशत की सिफारिश की है।

15. इसने अनुसूची V और अनुसूची VI के क्षेत्रों और संविधान के भाग IX और IXक में शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए अधिनिर्णय अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए कुल आधारभूत अनुदान से निकाली गई 20 रुपए प्रति व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्र अनुदान की एक पृथक सिफारिश भी की है। इसने इन क्षेत्रों के लिए 2011-12 के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति के और पंचाट अवधि के परवर्ती वर्षों के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति के विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है।

16. निष्पादन अनुदानों को राज्यों को जारी किया जाएगा यदि वे रिपोर्ट के अध्याय 10 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

17. आयोग के राजस्व अनुमानों के अनुसार, क्षेत्रीय निकायों के लिए सिफारिश की गई कुल अनुदान राशि कुल अवधि में 87,519 करोड़ रुपए होगी। आयोग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अनुदानों के वितरण की सिफारिश की है और राज्यों के बीच अंतरराज्यीय वितरण की सिफारिश की है। फॉर्मूला और पारस्परिक हिस्से रिपोर्ट के अध्याय 10 में दर्शाए गए हैं।

*सरकार ने इन सिफारिशों की स्वीकार कर लिया है।*

### आपदा राहत

18. आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के आलोक में राहत व्यय के वित्तपोषण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की है और सिफारिश की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में (एनडीआरएफ) में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) का विलय कर दिया जाए और आपदा राहत निधि (सीआरएफ) का विलय राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में (एसडीआरएफ) में कर दिया जाए जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा और मौजूदा निधियों में बकाए का अंतरण नई निधियों में कर दिया जाए।

19. आयोग ने सभी राज्यों के राहत व्यय का आकलन किया है और सिफारिश की है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत एसडीआरएफ आवश्यकताएं और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत की आवश्यकताएं राज्यों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले एक अनुदान से पूरी हो जाएंगी। इसने क्षमता निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। कुल मिलाकर केन्द्र के एसडीआरएफ हिस्से को पूरा करने एवं क्षमता निर्माण के लिए आयोग ने 26,373 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। राहत व्यय का ठीक-ठीक हिसाब रखने के लिए इसने सभी राज्यों को अपेक्षित लेखांकन प्रक्रियाएं अपनाने के लिए कहा है।

*सरकार ने इन सिफारिशों की स्वीकार कर लिया है।*

### राजकोषीय योजना

20. आयोग ने केन्द्र और राज्यों के वित्त का आकलन किया और 2014-15 तक प्राप्त किया जाने वाला एक समेकित ऋण लक्ष्य विनिर्दिष्ट किया जो कि सकल देशी आपाद का 68 प्रतिशत है। इसे अधिनिर्णय अवधि के

लिए राजकोषीय घाटे (एफडी) और राजस्व घाटे (आरडी) के लिए एक योजना तैयार की है। केन्द्र के लिए इसने सिफारिश की है कि आरडी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 2013-14 तक एफडी को कम करके जीडीपी के 3 प्रतिशत तक ले आया जाए। राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए उसके चालू घाटे और ऋण स्तर के आधार पर आयोग ने राजकोषीय योजना तैयार की है। राज्यों से अपेक्षित है कि वे आरडी को समाप्त कर दें और आयोग की श्रृंखलाबद्ध अधिनिर्णय अवधि के दौरान अपने सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) की 3 प्रतिशत के बराबर एफडी प्राप्त करें और इसे इस प्रकार प्राप्त करें कि सभी राज्य 2014-15 तक आरडी समाप्त कर दें और अपनी जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के बराबर एफडी प्राप्त करें। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों की उधार लेने की सीमाओं को इन लक्ष्यों के अनुसरण में केन्द्र द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

*सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।*

एफआरबीएस अधिनियम के संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव, जैसा भी आवश्यक हो, पृथक रूप से किया जाएगा।

### राज्यों को ऋण राहत

21. आयोग ने सभी राज्यों में लागू किए जाने के लिए दो ऋण राहत उपायों की सिफारिश की है। प्रथमतः इसने सिफारिश की है कि राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से 2006-07 की समाप्ति तक दिए गए और 2009-10 की समाप्ति तक बकाया ऋण पर ब्याज 9 प्रतिशत की दर पर पुनःनिर्धारित किया जाएगा। अधिनिर्णय अवधि के दौरान इस राहत के प्रभाव का आकलन आयोग द्वारा किया गया जो कि 13,517 करोड़ रुपए है। समस्त अवधि के दौरान इस राहत उपाय में शामिल अंतिम ऋण की परिपक्वता तक वित्तीय प्रभाव का आकलन 28,360 करोड़ रुपए किया गया है। आयोग

ने यह भी सिफारिश की है कि संचनात्मक सुधारों को एनएसएसएफ में लाया जाना चाहिए ताकि इसे बाजार से जोड़ा जा सके।

22. आयोग द्वारा प्रस्तावित दूसरी ऋण राहत है केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों का बट्टे खाते में डालना जो 2009-10 की समाप्ति तक बकाए थे एवं जो कि वित्त मंत्रालय को छोड़कर अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए गए हैं। आयोग द्वारा पाया गया कि 2007-08 को ऋण की बकाया राशि 4,506 करोड़ रुपए थी। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आगे और ऋण नहीं दिए जाने चाहिए।

23. आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण समेकन सुविधा को प्रदान किया जाए जिन्होंने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

24. उपर्युक्त सभी ऋण राहत राज्यों को तभी उपलब्ध होगी यदि वे आयोग की सिफारिशों के अनुसार एफआरबीएस अधिनियम को संशोधित / विधायन करते हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य विशिष्ट अनुदानों के लिए राज्य तभी पात्र होंगे जब वे शर्त के अनुसार चलेंगे।

राज्यों को दिए जाने वाले एनएसएसएफ ऋणों की ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण से संबंधित सिफारिशों को **सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।** तथापि, चूंकि सिफारिशें व्यापक हैं और अन्य संरचनात्मक पहलुओं को शामिल करती हैं जैसे ब्याज दर असंगति, टेनर असंगति और अन्य प्रशासनिक मामले, अतः वित्त मंत्रालय इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार

करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्र के ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए, उन राज्यों ने जिन्होंने अभी तक लाभ नहीं उठाया है उन तक बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण समेकन की योजना का विस्तार एवं इन ऋणों का लाभ उठाने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में **सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।** भविष्य में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों को पूरी तरह से बंद किए जाने के संबंध में, **संबंधित मंत्रालयों से परामर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी।**

### अन्य सिफारिशें

25. उपर्युक्त के अलावा आयोग ने कई अन्य सिफारिशें की हैं जिनमें केंद्र और राज्य स्तर पर राजस्व और व्यय सुधारों से संबंधित मामले, लेखा और बजटीय सुधार, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा अतिरिक्त खुलासे इत्यादि शामिल हैं।

*इन सिफारिशों पर कालान्तर में विचार किया जाएगा।*

### कार्यान्वयन

26. माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात क्रमशः केंद्रीय करों और शुल्कों और सहायता अनुदानों में हिस्से से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 270 और 275 (1) के तहत सिफारिशों के अनुसार आदेश जारी किए जाएंगे। राज्यों को आपदा राहत और ऋण राहत निधियों के पुनर्गठन और उधार की आखिरी सीमा से संबंधित सिफारिशों को कार्यकारी आदेश द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आयोग की अन्य सिफारिशों पर कालान्तर में कार्रवाई की जाएगी।

## अनुबंध सारणी 1: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किए गए कुल अंतरण (2010-15)

(रु. करोड़)

राज्य	केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सा	अनुदान राशि (2010-15)				
		डीवॉल्यूशन पश्चात एनपीआरडी	निष्पादन प्रोत्साहन	स्थानीय निकाय	आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित)	प्राथमिक शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. गैर विशेष श्रेणी</b>						
1. आंध्रप्रदेश	100616.0	0.0	0.0	7195.1	2138.7	942.0
2. बिहार	158341.2	0.0	0.0	5682.1	1411.2	4018.0
3. छत्तीसगढ़	35825.2	0.0	0.0	2267.2	647.1	857.0
4. गोवा	3857.8	0.0	0.0	172.0	17.3	11.0
5. गुजरात	44107.1	0.0	0.0	3757.6	2110.9	483.0
6. हरियाणा	15199.5	0.0	0.0	1521.3	824.4	229.0
7. झारखंड	40640.3	0.0	0.0	2239.8	1100.2	1528.0
8. कर्नाटक	62774.9	0.0	0.0	6496.7	687.1	667.0
9. केरल	33954.3	0.0	0.0	2676.1	563.2	140.0
10. मध्य प्रदेश	103268.9	0.0	0.0	5833.5	1652.7	2216.0
11. महाराष्ट्र	75406.9	0.0	0.0	8743.6	1859.6	744.0
12. उड़ीसा	69316.1	0.0	0.0	3270.9	1647.8	1016.0
13. पंजाब	20146.4	0.0	0.0	1753.8	948.8	224.0
14. राजस्थान	84892.2	0.0	0.0	5163.8	2519.3	1766.0
15. तमिलनाडु	72070.4	0.0	0.0	5455.9	1241.4	700.0
16. उत्तर प्रदेश	285397.1	0.0	0.0	12740.5	1622.1	5040.0
17. पश्चिम बंगाल	105358.6	0.0	0.0	5773.1	1288.3	2359.0
<b>II. विशेष श्रेणी</b>						
1. अरुणाचल प्रदेश	4755.6	2516.2	0.0	305.7	187.7	24.0
2. असम	52620.6	0.0	300.0	1892.8	1336.8	238.0
3. हिमाचल प्रदेश	11327.3	7888.8	0.0	641.5	670.3	113.0
4. जम्मू और कश्मीर	20182.7	15936.3	0.0	1122.6	877.6	449.0
5. मणिपुर	6541.2	6056.6	0.0	315.9	40.9	15.0
6. मेघालय	5918.5	2810.9	0.0	432.4	77.9	52.0
7. मिजोरम	3901.3	3991.4	0.0	310.7	47.5	5.0
8. नागालैंड	4552.9	8146.1	0.0	415.7	29.7	7.0
9. सिक्किम	3466.8	0.0	200.0	187.2	118.1	5.0
10. त्रिपुरा	7411.5	4453.3	0.0	369.8	101.0	23.0
11. उत्तराखंड	16245.1	0.0	1000.0	781.3	605.1	197.0
<b>कुल</b>	<b>1448096.0</b>	<b>51800.0</b>	<b>1500.0</b>	<b>87519.0</b>	<b>26373.0</b>	<b>24068.0</b>

**टिप्पणी:** 1. 60,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि, कॉलम-17 में अनुदान के आंकड़ों में शामिल नहीं है। इसमें तीन अनुदान शामिल हैं (क) जीएसटी मुआवजा अनुदान (50,000 करोड़ रुपए) (ख) आईएमआर में कमी के लिए अनुदान (5000 करोड़ रुपए) और (ग) अक्षय ऊर्जा अनुदान (5000 करोड़ रुपए)। इस स्तर पर इन अनुदानों का राज्यवार आवंटन संभव नहीं है क्योंकि यह उनके भविष्य के निष्पादन पर निर्भर है। इन भविष्योन्मुख अनुदानों को कॉलम 17 में कुल अनुदानों में जोड़ने से, कुल सहायता अनुदान 318581 करोड़ रुपये होता है एवं कुल अंतरण 1766676 करोड़ रुपए होते हैं।

2. पूर्णांकन के कारण कुल योग में अंतर हो सकता है।

एनपीआरडी = गैर योजना राजस्व घाटा यूआईडी = विशिष्ट पहचान

## अनुबंध सारणी 1: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किए गए कुल अंतरण (2010-15) (जारी)

(रु. करोड़)

राज्य	अनुदान राशि (2010-15)				
	निष्पादनों में सुधार				
	न्याय प्रदान करने में सुधार	यूआईडी जारी करने के लिए प्रोत्साहन	जिला नवोन्मेष निधि	राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	कर्मचारी और पेंशन डेटाबेस
1	8	9	10	11	12
<b>I. गैर विशेष श्रेणी</b>					
1. आंध्रप्रदेश	270.7	126.1	23.0	23.0	10.0
2. बिहार	385.0	369.2	38.0	38.0	10.0
3. छत्तीसगढ़	125.1	91.0	18.0	18.0	10.0
4. गोवा	15.0	2.0	2.0	2.0	10.0
5. गुजरात	299.8	90.7	26.0	26.0	10.0
6. हरियाणा	124.2	32.1	21.0	21.0	10.0
7. झारखंड	177.5	116.4	24.0	24.0	10.0
8. कर्नाटक	269.8	138.9	29.0	29.0	10.0
9. केरल	140.1	49.6	14.0	14.0	10.0
10. मध्य प्रदेश	407.4	249.7	50.0	50.0	10.0
11. महाराष्ट्र	542.7	317.4	35.0	35.0	10.0
12. उड़ीसा	193.6	178.5	30.0	30.0	10.0
13. पंजाब	120.8	21.6	20.0	20.0	10.0
14. राजस्थान	268.5	134.9	33.0	33.0	10.0
15. तमिलनाडु	252.4	145.6	31.0	31.0	10.0
16. उत्तर प्रदेश	645.8	590.0	70.0	70.0	10.0
17. पश्चिम बंगाल	210.9	208.4	19.0	19.0	10.0
<b>II. विशेष श्रेणी</b>					
1. अरुणाचल प्रदेश	77.6	2.0	16.0	16.0	5.0
2. असम	121.1	55.8	27.0	27.0	5.0
3. हिमाचल प्रदेश	64.8	6.4	12.0	12.0	5.0
4. जम्मू और कश्मीर	104.5	5.9	22.0	22.0	5.0
5. मणिपुर	11.6	4.0	9.0	9.0	5.0
6. मेघालय	4.2	4.5	7.0	7.0	5.0
7. मिजोरम	13.0	1.2	8.0	8.0	5.0
8. नागालैंड	6.2	4.0	11.0	11.0	5.0
9. सिक्किम	21.8	1.1	4.0	4.0	5.0
10. त्रिपुरा	24.0	6.4	4.0	4.0	5.0
11. उत्तराखंड	102.2	36.0	13.0	13.0	5.0
<b>कुल</b>	<b>5000.0</b>	<b>2989.0</b>	<b>616.0</b>	<b>616.0</b>	<b>225.0</b>

लेख

तेरहवें वित्त  
आयोग की रिपोर्ट  
(2010-2015):  
सारांश

अनुबंध सारणी 1: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किए गए कुल अंतरण (2010-15) (समाप्त)

(रु. करोड़)

राज्य	अनुदान राशि (2010-15)					कुल अंतरण (कॉलम 2 + 17)
	पर्यावरण संबंधी अनुदान		सड़कों और पुलों का रखरखाव	राज्य विशिष्ट	कुल अनुदान राशि (कॉलम 3 से 16 का योग)	
	वन	जल क्षेत्र प्रबंधन				
1	13	14	15	16	17	18
<b>I. गैर-विशिष्ट श्रेणी</b>						
1. आंध्रप्रदेश	268.6	284.0	981.0	1270.0	13532.3	114148.3
2. बिहार	38.4	304.0	464.0	1845.0	14602.8	172944.1
3. छत्तीसगढ़	411.1	88.0	362.0	1281.0	6175.5	42000.7
4. गोवा	36.9	8.0	40.0	200.0	516.2	4374.0
5. गुजरात	81.9	236.0	1261.0	1300.0	9682.9	53789.9
6. हरियाणा	8.8	212.0	267.0	1000.0	4270.8	19470.3
7. झारखंड	151.4	108.0	334.0	1425.0	7238.4	47878.6
8. कर्नाटक	221.0	128.0	1625.0	1300.0	11601.4	74376.3
9. केरल	135.5	176.0	953.0	1500.0	6371.5	40325.8
10. मध्य प्रदेश	490.3	148.0	986.0	1231.0	13324.5	116593.4
11. महाराष्ट्र	309.6	368.0	2103.0	1235.0	16302.8	91709.8
12. उड़ीसा	331.0	184.0	1022.0	1745.0	9658.8	78974.9
13. पंजाब	9.2	320.0	612.0	1480.0	5540.3	25686.6
14. राजस्थान	88.3	224.0	1509.0	1200.0	12949.8	97842.0
15. तमिलनाडु	142.5	192.0	1865.0	1300.0	11366.9	83437.3
16. उत्तर प्रदेश	80.5	1364.0	2831.0	1679.0	26742.9	312140.0
17. पश्चिम बंगाल	79.0	296.0	673.0	1703.0	12638.7	117997.2
<b>II. विशेष श्रेणी</b>						
1. अरुणाचल प्रदेश	727.8	8.0	162.0	300.0	4348.2	9103.8
2. असम	184.6	88.0	336.0	600.0	5212.1	57832.7
3. हिमाचल प्रदेश	100.6	64.0	436.0	350.0	10364.4	21691.6
4. जम्मू और कश्मीर	133.0	88.0	140.0	1350.0	20255.9	40438.7
5. मणिपुर	150.3	8.0	100.0	301.0	7026.3	13567.5
6. मेघालय	168.1	4.0	101.0	250.0	3923.9	9842.4
7. मिजोरम	171.2	4.0	89.0	250.0	4904.0	8805.3
8. नागालैंड	138.6	8.0	159.0	250.0	9191.3	13744.2
9. सिक्किम	40.6	4.0	68.0	400.0	1058.8	4525.7
10. त्रिपुरा	95.5	8.0	122.0	500.0	5716.1	13127.6
11. उत्तराखंड	205.4	76.0	329.0	700.0	4063.0	20308.1
<b>कुल</b>	<b>5000.0</b>	<b>5000.0</b>	<b>19930.0</b>	<b>27945.0</b>	<b>258581.0</b>	<b>1706676.0</b>